



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11370

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41962 / 2025

शिवा.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रतिवादी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : अजय मणि तिवारी, मानवेंद्र सिंह

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र सिंह, राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान
अपर शासकीय अधिवक्ता श्री याज्ञवल्क्य पांडेय को सुना गया और अभिलेख का
परिशीलन किया।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत
अभियुक्त-आवेदक शिवा की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें उसे पुलिस थाना
जैत, जिला मथुरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 412/2025, भारतीय न्याय संहिता,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2023 की धारा 76 और पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 के तहत निचली अदालत के समक्ष विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और वह 29.9.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी 6 दिन के विलंब से दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज करने में हुए विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्राथमिकी केवल संदेह के आधार पर दर्ज की गई है। प्राथमिकी के संस्करण के साथ ही साथ बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत अभिलिखित पीड़िता के कथनों में भौतिक विरोधाभास है। पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया।

सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुणागुण पर टिप्पणी किए बिना, यह जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अतः अभियुक्त - आवेदक **शिवा**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विश्वसनीय प्रतिभूतियां निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक नियत तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी भंग होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

16 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।